

## वी.ओ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास

### सिटीज़न चार्टर

#### विषय

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	संगठन का नाम एवं पूरा डाक पता	
2	संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताएँ	
3	विज़न एण्ड मिशन स्टेटेमेंट, आइएसओ क्यूएमएस – क्वालिटी पॉलिसी, इएमएस – पर्यावरण पॉलिसी, आइएसपीएस सेफ्टी पॉलिसी	
4	वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास का संक्षिप्त इतिहास एवं पृष्ठभूमि	
5	पत्तन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएँ और पत्तन के उपभोक्ताओं का संक्षिप्त विवरण	
6	सतर्कता विभाग का प्रशासनिक ढांचा एवं कार्य	
7	विभिन्न सेवाओं के लिए अपनाई गई समय सीमा (बेन्च मार्क)	
8	शिकायत निवारण प्रणाली एवं औद्योगिक संपर्क और ग्राहकों से अपेक्षाएँ	
9	प्रमुख अधिकारियों के नाम एवं दूरभाष नंबर	

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास  
सिटिज़न चार्टर

संगठन का नाम एवं पूरा डाक पता

वी.ओ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास  
हार्बर एस्टेट  
तूत्तुकुडि – 628 004  
तमिलनाडु  
भारत

फेक्स नं० : 0461–2352301  
ई-मेल : info@vocport.gov.in  
वेब साइट : www.vocport.gov.in

## वी.ओ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास

### सिटिज़न चार्टर

#### प्रमुख कार्यकर्ता :

- (1) **अध्यक्ष :** भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, पत्तन के विभागों के कार्यकलापों के प्राधिकृत नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं ।
- (2) **उपाध्यक्ष :** अध्यक्ष को सहयोग देते हैं ।

### विभागाध्यक्ष

#### 1) सचिव :

सामान्य प्रशासन विभाग के अध्यक्ष और सिटीज़न चार्टर के नोडल अधिकारी तथा इस पत्तन के लोक शिकायत के निदेशक भी हैं। सभी विभागों के साथ समन्वय करते हैं और प्रशिक्षण गतिविधियों को शामिल करते हुए कार्मिक विषय, बोर्ड के विषय के उत्तरदायी है। पत्तन के प्रशासन के विषयों में, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की सहायता करते हैं और के.ओ.सु.ब से संबंधित मामलों को देखने के लिए उत्तरदायी हैं ।

#### 2) यातायात प्रबंधक :

यातायात विभाग के अध्यक्ष – बर्थ के आबंटन, कार्गो सम्वहलाई गतिविधियों का अनुवेक्षण, कार्गो (सीमाशुल्क बंधित क्षेत्र के अंदर) के लिए भंडार के जगहों का प्रबंध, कार्गो के लादान/उतार के लिए पत्तन उपस्कर की व्यवस्था और कार्गो के निपटान के लिए प्राधिकरण देने के लिए उत्तरदायी हैं ।

#### 3) उपसंरक्षक :

समुद्री विभाग के अध्यक्ष – पत्तन के संरक्षण, बर्थिंग, अन्बर्थिंग का समय, वेसलों का शिफ्टिंग, नेवीगेशनल एड्ड्स से संबंधी कार्य, फ्लोटिंग क्राफ्ट्स का संचालन, प्रदूषण नियंत्रण कक्ष, वीटीएमएस संचालन, सिग्नल स्टेशन एवं पत्तन के अंदर की सुरक्षा के कार्यकलापें । ये, मेरीटाइम संचार, आकस्मिकताओं को संभाले के लिए अग्निशमन सेवाएँ, मौसम विज्ञान वेधशाला तथा मौसम रिपोर्ट के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार हैं। उप संरक्षक जो, पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी भी हैं, पत्तन एवं जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का दायित्व रखते हैं ।

**4) मुख्य यांत्रिक इंजीनियर :**

यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के अध्यक्ष – यातायात विभाग द्वारा अनुरोध किये जाने पर पत्तन के विभिन्न कार्गो सम्हलाई उपस्करों के रखरखाव और संचालन पत्तन के सुलभ संचालन के लिए विद्युत का प्रावधान, नौ संचालन/कार्गो सम्हलाई/कंटेनर सम्हलाई/विद्युत संचालनों के लिए, पूंजी उपस्कर की खरीद और सभी विभागों के लिए आवश्यक भंडार की प्राप्ति, सभी विभाग के भंडार पर नियंत्रण एवं अधिशेष और अप्रयोज्य यंत्र व भंडार का निपटान, फ्लोटिंग क्राफ्ट्स का रखरखाव एवं फ्लोटिंग क्राफ्ट्स की अधिप्राप्ति। पीपीपी प्रॉजेक्टों का प्लानिंग एवं निष्पादन और अन्य राजस्व शेयर मॉडल प्रॉजेक्ट्स। दूरभाष एक्सचेंज, सीसीटीवी एवं अन्य संचार साधनों का रखरखाव करने का दायित्व रखते हैं।

**5) मुख्य इंजीनियर :**

सिविल इंजीनियरी विभाग के अध्यक्ष – वार्फ स्ट्रेक्चर, वेयरहाउस, ट्रान्सिट शेड्स, कन्टेनर यार्ड, बिल्डिंग्स, सडक, ड्रेजिंग के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था और रखरखाव एवं मरैन सर्वे और सीमाशुल्क बंधित क्षेत्र के बाहर भूमि का आबंटन।

**6) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी :**

वित्त विभाग के अध्यक्ष – लेखों के रखरखाव बिलों को अंतिम रूप देना एवं चुकौती, बजटिंग और दरों के मान से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी और इडीपी के कार्यकलापों के लिए भी उत्तरदायी हैं।

**7) मुख्य चिकित्सा अधिकारी :**

चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष – जिसमें मुख्य अस्पताल, पत्तन अस्पताल का दवाखाना एवं फस्ट एड केन्द्रों को शामिल है। अस्पताल सामग्री प्रबंधन एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

**8) मुख्य सतर्कता अधिकारी :**

पत्तन के सतर्कता विभाग के अध्यक्ष, जो पत्तन में भ्रष्टाचार निहित वातावरण सुनिश्चित करते हैं।

उपर्युक्त विभागाध्यक्ष, उनके सरकारी प्रतिष्ठा की हैसियत से उनके कार्यभार के अधीन की गतिविधियों का अनुवीक्षण एवं नियंत्रण करने का प्राधिकरण रखेंगे।

विज्ञान और मिशन स्टेटमेन्ट, आइएसओ क्यूएमएस – क्वालिटी पॉलिसी, इएमएस – पर्यावरण पॉलिसी, आइएसपीएस सेफ्टी पॉलिसी :

### विज्ञान

दक्षिण भारत और उसके भीतरी भाग में गुणवत्ता एवं कुशल कार्गो सम्वहलाई सुविधा प्रदान करने में अग्रणी बनना ।

### मिशन

हमारे ग्राहकों को अच्छे मूल्य पर दक्ष सीपोर्ट और लॉजिस्टिक सेवाएँ प्रबंध करना

### हमारा महत्व

- ग्राहक की संपूर्ण संतुष्टि
- स्टैकहोल्डर्स के साथ साझेदारी
- क्वालिटी और टीम वर्क के लिए वचदबद्ध
- काम में न्याय, उत्तरदायी और पारदर्शकता
- सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के लिए सोच-विचार
- कार्य निष्पादन, बचाव एवं सुरक्षा के माध्यम से मूल्य बढ़ाना

**क्वालिटी प्रबंधन प्रणाली पॉलिसी आइएसओ 9001 : 2008**

“अनुकूलतम लागत पर समुद्रवर्ती व्यापार के लिए सुविधाओं और सेवाओं में नियमित सुधार लाते हुए ग्राहक की संतुष्टि सुनिश्चित करना”

**विज्ञान, मिशन एवं रिसल्ट फ्रेमवर्क डॉकुमेन्ट (आरएफडी) का उद्देश्य**

### विज्ञान

- दक्षिण भारत और उसके भीतरी भाग में गुणवत्ता एवं कुशल कार्गो सम्वहलाई सुविधा प्रदान करने में अग्रणी बनना ।

## मिशन

- भारत के पसंदीदा वितरण केंद्र बनना
- हमारे ग्राहकों को सबसे अच्छा मूल्य प्रदान करने के लिए कुशल सीपोर्ट लॉजिस्टिक प्रदान करना
- अंतरराष्ट्रीय मानक पोर्ट बुनियादी ढांचे का विकास और अत्याधुनिक सम्हलाई उपकरणों की स्थापना के द्वारा क्षमता को बढ़ाना
- जहाजों के त्वरित टर्न अराउंड को सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, कार्गो की कुशल सम्हलाई के लिए उपकरणों का अप् – ग्रडेशन

## उद्देश्य

- अंतरराष्ट्रीय मानक बुनियादी ढांचा और आधुनिक उपकरणों की स्थापना के विकास के द्वारा पत्तन की क्षमता को बढ़ाना
- आवश्यकतानुसार, बड़े साइज के जहाजों की सम्हलाई के लिए बर्थ के सामने गहराई को बढ़ाना
- इष्टतम लागत पर ट्रेड को कुशल, त्वरित, सुरक्षित और समय पर सेवा प्रदान करना
- कार्गो सुविधा द्वारा शीघ्र एवं सुरक्षित निकासी करने के लिए , सडक और रेल सुविधा को बढ़ाना
- कॉर्पोरेट सोसियल दायित्व को सुधारते हुए, पत्तन उपभोगता, व्यापार, कर्मचारियों, पेंशनरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए , सेवाओं को लगातार सुधारना
- डीप ड्राफ्ट बर्थों, उच्च यंत्रिकृत और समर्पित कार्गो सम्हलाई सुविधा के द्वारा, प्रभावी लागत प्रचालन प्रदान करना
- पर्यावरण के अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए पत्तन परिसर में हरित क्षेत्र को बढ़ाना
- दक्षिण भारत और उसके भीतरी प्रदेशों में उत्कर्ष एवं दक्ष कार्गो सम्हलाई सुविधा का प्रबंध करने में अग्रणी बनना ।

## पर्यावरण नीति

आइएसओ 14001 : 2004

पत्तन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के जरिए पर्यावरण को परिपोषित करने हेतु भरसक प्रयास कर रहा है और पत्तन को अगस्त, 2005 में आइएसओ 14001:2004 प्रमाणिकरण प्रदान किया गया। पत्तन की पर्यावरणीय नीति है : “ पत्तन पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से उसकी गतिविधियों में, लगातार सुधार लाने और कानूनी अनुपालन करते हुए, पर्यावरणीय संरक्षा लाने के लिए वचनबद्ध है। ”

## आइएसपीएस संरक्षा नीति

“वी.ओ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास, अपने सभी कर्मचारियों, पत्तन उपभोक्ताओं एवं जहाजों और उसके कार्मिकों के लिए बचाव और सुरक्षित कार्यरत वातावरण को प्रबंध करने के लिए, वचनबद्ध है ; जनता, कार्गो और समुद्रीय परिसंपत्तियों के विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने हेतु , आवश्यक सुरक्षा उपायों की स्थापना एवं रखरखाव करते हुए, यह प्राप्त किया गया है ”

## आईएमएस नीति

हम, समुद्रीय व्यापार की सुविधाओं के लिए, समुद्रपत्तन सुविधा तथा उससे संबंधी सेवाओं का प्रबंध करने हेतु निम्न द्वारा वचनबद्ध हैं :

- \* सभी विधिवत् अनिवार्यताओं का अनुपालन करते हुए, एक्सिम व्यापार के लिए क्वालिटी सर्विस सुनिश्चित करना।
- \* पर्यावरण की सुरक्षा करना, जिसमें प्रदूषण का रोकथाम करना शामिल है।
- \* दुर्घटना एवं अस्वास्थ्य को रोकते हुए संरक्षा सुनिश्चित करना।
- \* आइ एम एस के माध्यम से सर्वोपरि प्रभाविता में लगातार सुधार लाना। और सामाजिक दायित्वों के साथ कर्मचारी को प्रोत्साहित एवं सशक्त करते हुए, राष्ट्र की उन्नति की ओर अग्रसर रहना।

# वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास सिटीज़न चार्टर

## 1. तूत्तुक्कुडि में पत्तन का प्रारंभ एवं विकास

### 1.1 परिचय

देश के आर्थिक संवृद्धि एवं सामाजिक सुधार, देश में स्थित पत्तनों के विकास पर आधारित है। पत्तन, देश के आर्थिक विकास का आधार शैल है। यह, सांस्कृतिक, भाषा के आदान-प्रदान के केन्द्र के रूप में और आर्थिक सहयोग सुसाध्य करते हुए, राष्ट्रों के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है। यह, खाद्यान्न की कमी एवं निर्धनता उपशमन का समाधान करने के लिए अक्सीर के रूप में भी काम करता है। यह विदेशी विनिमय आमदनी में वृद्धि और सुसाध्यता को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक है।

### 1.2 तूत्तुक्कुडि का इतिहास

साहित्य में इसका पहला जिक्र 88 ग्रीक कार्य – पेरियुप्लस ऑफ दी एरिथ्रियन सी – में ईसवी सन् 88 में किया गया। सन् 124 में इस पहला संदर्भ प्टाल्मी द्वारा किया गया, जिसने देखा कि कोल्लिक खाड़ी में कराई नामक देश है जहाँ पर्ल फिशरी, सोसीकौराय एवं कोलकोहौ और सोलान नदी के मुहाने पर वाणीज्य केन्द्र है। इसमें थोड़ी ही शक है कि प्टोलमी का सोसीकौराय, तूत्तुक्कुडि स्थान है और कोई नहीं। सन् 200 से ईसवी सन् 1000 तक तूत्तुक्कुडि से संबंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। फिर भी तमिल साहित्य की तेवाराम, सीवाह चिन्तामणी और पेरियपुरानम की अवधि के दौरान पर्ल का जिक्र तो है और इसका स्रोत अज्ञान है। जेम्स डेर्नल ने मद्रास सरकार को अपनी रिपोर्ट में मन्नार खाड़ी के भारतीय पर्ल फिशरी पर रोशनी डाली और तूत्तुक्कुडि पर चर्चा की। जैसे कि तमिलनाडू में कोरकै, पुहार इत्यादि जैसे पत्तनों का जिक्र है और तमिल साहित्य तथा ऐतिहासिक रिकार्डों ने तूत्तुक्कुडि के पर्ल फिशरी तथा पर्ल के व्यापारों पर रोशनी डाली है। इसाई सन् 7 से 9 तक पाण्ड्या राजाओं ने और बाद में इसाई सन 10-12 तक की शताब्दी में चोला राजाओं द्वारा शासन किया गया। इसका जिक्र है कि तूत्तुक्कुडि में एक अच्छा सुरक्षित एवं प्राकृतिक हार्बर है जहाँ जहाजों को सुरक्षित रूप से लंगर किया जा सकता है। पोर्चुगीस, डच एवं ब्रिटीश ने भारत में भिन्न भिन्न कालावधि में शासन किया।



पोर्चुगीस तूत्तुकुडि में वर्ष 1532 में आए। वर्ष 1649 में डच ने तूत्तुकुडि पर कब्जा किया। अनेकों यूरापी पर्यटकों विशेष : अंग्रेजी पर्यटकों ने, 17 वीं शताब्दी में तूत्तुकुडि पर उनके अनुभवी विचार को अत्यवधानी से रिकार्ड किया है। फिलिफ बाल्डीयस, एक अंग्रेजी मिशिनरी, जिन्होंने वर्ष 1675 में तूत्तुकुडि का दर्शन किया था, के द्वारा रिकार्ड किया गया अनुभवी विचार ग्राफिक और बहुमूल्य है। डच के अधीन उन्नत हुई लाभप्रद पर्ल फिशरी को शॉन-डे-लाकोस द्वारा वाउचसेफ किया गया। इंग्लिश इस्ट इंडिय सके अन्य शहरों जैसे कायलपट्टिनम, पुन्नकायल, मनपाडु इत्यादि का प्रशासन ले लिया गया।

### 1.3 भारत की स्वतंत्रता में तूत्तुकुडि की भूमिका

20 वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में तूत्तुकुडि आजादी के संग्राम का नगर-दुर्ग बना। वी.ओ.चिदम्बरनार ने, राष्ट्रीयता एवं स्वतंत्रता के साथ साथ स्वदेशी और बहिष्कार सिद्धान्त का बीज बोया। कठिनपरिश्रम और संघर्ष झेलने के बाद, वे वर्ष 1907 में पहले स्वदेशी नेविगेशन कंपनी की शुरुआत कर सके। स्वदेशी जहाज एस.एस.गेलिया और एस.एस. लावो तूत्तुकुडि तथा कोलम्बो के बीच संचालित किए गए। प्रतिकूल वातावरण के बावजूद स्वदेशी जहाज की शुरुआत करना, आजादी के संग्राम का एक महत्वपूर्ण मील पत्थर रहा। देश भक्त जैसे कि सुब्रमण्य शिवा, एवं वान्चीअय्यर ने भी वी.ओ.चिदम्बरनार को उपनिवेशी शासन जकड से स्वतंत्रता पाने के लिए भारतीय आजादी की बीज फैलाने में मदद की। अतः तूत्तुकुडि ने महात्मा गाँधीजी द्वारा शुरु की गई आजादी के संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

### 1.4 तूत्तुकुडि पुराने पत्तन का इतिहास

वर्ष 1842 में तूत्तुकुडि एक लाइट हाउस का निर्माण किया गया। लाइट हाउस का निर्माण तूत्तुकुडि हार्बर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील-पत्थर बना। तूत्तुकुडि का योजनाबद्ध विकास वर्ष 1868 में शुरु हुआ। आरंभ में रु.1200/- की लागत पर एक पायर का निर्माण किया गया। वर्ष 1873 में अर्ल बकिंग द्वारा तूत्तुकुडि के दर्शन के दौरान पायर की मजबूतीकरण करने का आदेश दिया गया। वर्ष 1887 में 100 मी पायर दुगुना हुआ। इसके बाद रेलवे स्टेशन से तूत्तुकुडि पत्तन को जोड़ते हुए रेल्स बिछाई गई। वर्ष 1894 में लकडी के पायरों को स्टील स्टेक्चरों से बदला गया। वर्ष 1895 में रु.2 लाख की लागत पर क्षेत्र का रेक्लमेशन करते हुए एक पत्तन का निर्माण हुआ। वर्ष 1899 में रेलवे लाइनों को तूत्तुकुडि पत्तन में पायर तक बढ़ाए गए।

## 1.5 तूत्तुक्कुडि नए पत्तन का इतिहास

तूत्तुक्कुडि पर एक गहरा समुद्री हार्बर का निर्माण करने का प्रस्ताव, वर्ष 1914 के दौरान किया गया। युद्ध शुरू होने के कारण इसे आगे नहीं लेकर जाया सका। पत्तन के विकास के संभावना की जांच करने का पहला प्रस्ताव सर वोल्फ लिस्टर बेरी और पार्टनर्स का था। इसके बाद का अनुसरण वर्ष 1920 में ब्रिस्टो प्रॉजेक्ट और पाल्मर समिति योजना द्वारा हुई। वित्तीय संकटावस्था के कारण इसे छोड़ना पडा। वर्ष 1924 में मद्रास विधानमण्डल द्वारा तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास अधिनियम पारित हुआ। वर्ष 1929 में सर ब्रिस्टो ने अपनी योजना के रु.120 लाख पाल्मर समिति स्कीम के लिए 160 लाख का प्राक्कलन तैयार किया। इस बार भी वित्तीय संकटावस्था होने के कारण इस स्कीम को छोड़ना पडा।

वर्ष 1954 में भारत सरकार ने तूत्तुक्कुडि पत्तन के विकास की जांच के लिए चट्टरजी को नियुक्त किया। उन्होंने रु.4.5 करोड की अनुमानित लागत पर एक प्रस्ताव दिया। इस दौरान, सर रामसामी मुदलियार की अध्यक्षता में रु.8.62 करोड की लागत पर पाक स्ट्रेट को गल्फ आफ मन्नार से जोड़ने की व्यवहार्यता के साथ तूत्तुक्कुडि के विकास को संबंध जोड़ना हेतु जांच करने के लिए समिति का गठन हुआ। वर्ष 1956 में स्थानीय नेताओं, व्यापारी लोगों को सदस्य के रूप में लेते हुए तूत्तुक्कुडि पत्तन विकास परिषद का गठन हुआ। समिति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं अध्यक्ष योजना आयोग के साथ साथ केन्द्र तथा राज्य नेताओं से मूल्य निर्धारण किया। पंडित नेहरू ने सहनशील सुनवाई के बाद चार समीपवर्ती घाटों सहित 30 फीट हार्बर के लिए रु. 10.27 करोड की लागत पर तूत्तुक्कुडि हार्बर प्रॉजेक्ट के लिए अनुमति दी। इसके आधार पर मेसर्स मधुरानी एवं चाको समिति ने तूत्तुक्कुडि पत्तन के विकास के लिए सिफारिश की। वर्ष 1964 में प्रधान मंत्री लाल बहादूर शास्त्री ने नए पत्तन के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। जुलाई 1, 1979 को तूत्तुक्कुडि पत्तन को महा पत्तन के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 1975 में ऑयल मूरिंग की स्थापना की गई। वर्ष 1975 में वी.ओ.सी. बर्थ न. 1 & 2 की कमिश्निंग की गई और दिसंबर 1976 को बर्थ न. 3 & 4 की गई थी। अगला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, पहले के लंगर पत्तन और तूत्तुक्कुडि नए हार्बर को मिलाते हुए, दिनांक 1 अप्रैल 1979 के प्रभाव से महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अधीन पत्तन न्यास बना। इसके बाद, यातायात की वृद्धि दर में तेजी की प्रगति के साथ कदम मिलाने के लिए अनेक विकासशील गतिविधियां हुई।

## 1.6 पत्तन का प्रमुख विकास

अवधि	घटना
11.07.1974	तूत्तुक्कुडि पत्तन, महा पत्तन के रूप में घोषणा
13.07.1974	ऑयल मूरिंग की कमिश्निंग
02.12.1975	(व.उ.चि 1 & 2) पहली दो समीपवर्ती बर्थों की कमिश्निंग
31.12.1976	(व.उ.चि 3 & 4) अगले दो समीपवर्ती बर्थों की कमिश्निंग
01.04.1979	तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास बोर्ड का गठन
26.04.1980	तेल जेट्टी की कमिश्निंग
01.03.1983	कोयला जेट्टी I की कमिश्निंग
09.05.1983	(ए.बी.1) पाँचवें समीपवर्ती बर्थ की कमिश्निंग
01.01.1984	(ए.बी.2) छठवें समीपवर्ती बर्थ की कमिश्निंग
27.02.1995	कोयला जेट्टी II की कमिश्निंग
12.03.1996	आइ एस ओ 9002 का प्रमाणन
12.10.1996	रात्री नौवहन की शुरुआत
15.07.1998	मेसर्स पीएसए सिकाल को बर्थ न. 7 को लाइसेन्स पर देना
05.09.1998	बर्थ न. 7 की कमिश्निंग
10.05.1999	शेलो ड्राफ्ट बर्थ की कमिश्निंग
05.11.1999	हार्बर बेसिन (11.90 मी.) और अप्रोच चैनल (12.50 मी.) में तलमार्जन पूरा करना
21.12.1999	विश्वमानक कंटेनर टर्मिनल का कार्य शुरू होना
17.10.2001	यू एस को मेइन लाइन सर्विस की शुरुआत
02.02.2002	बर्थ न.8 की कमिश्निंग
23.04.2003	आइ एस ओ 9001:2000 प्रमाणन को बदलना
17.07.2003	महा पत्तन के रूप में 30 वां साल प्रवेश करना
16.07.2003	ईरोड तक सीधे मेइन लाइन सर्विस की शुरुआत
24.09.2003	बर्थ नं.8 के सामने डॉक बेसिन का तलमार्जन पूरा करना
26.12.2003	क्रूस टूरिसम के वेस्टर्न सर्किट में हमारे पत्तन का शामिल होना
10.07.2004	रजत जयंती समारोह
16.09.2005	आइ एस ओ 14001 : 2004 प्रमाणन का अनुमोदन
14.07.2008	बर्थ न.9 की कमिश्निंग

- 21.04.2010 डिडॉन पोर्ट स्पेइन के साथ सिस्टर पोर्ट अग्रिमेन्ट का हस्ताक्षर
- 01.07.2010 वी.ओ.सी. बर्थ में प्रतिस्थापित वार्फ क्रैन का उद्घाटन
- 11.09.2010 "डीबीएफओटी मोड पर बल्क कार्गो की सम्वहलायी के लिए नार्थ कार्गो बर्थ II के विकास" के लिए मेसर्स तूतीकोरिन कोल टर्मिनल लिमिटेड के साथ शिथिलन करार पर हस्ताक्षर
- 11.09.2010 एनसीबी बर्थ II के लिए, एबीजी एलडीए बल्क हेण्डलिंग इंडिया प्रैवेट लिमिटेड के साथ शिथिलन करार पर हस्ताक्षर
- 30.12.2010 पंजी तलमार्जन का उद्घाटन
- 24.01.2011 नार्थ कार्गो बर्थ II के निर्माण का उद्घाटन
- 11.02.2011 व.उ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास के रूप में नाम बदलाव
- 06.03.2011 यात्री टर्मिनल का उद्घाटन
- 13.06.2011 पेसन्जर फेरी सर्विस – तूत्तुकुडि कोलंबो का लॉन्चिंग
- 27.07.2011 कार्गो सम्वहलाई श्रम दल का व.उ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास के साथ मर्जर
- 03.10.2011 व.उ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास और एल & टी इन्फोटेक, चेन्नै के बीच 'इ-सेइल' प्रॉजेक्ट के लिए समझौते पी हस्ताक्षर
- 19.11.2011 पेनामेक्स क्लास वेसल्स के बर्थिंग के लिए 12.80 मी. ड्राफ्ट सुविधा की घोषणा करना
- 04.09.2012 8 वे बर्थ को, कंटेनर टर्मिनल के रूप में बदलने के लिए, मेसर्स एबीजी कंटेनर हेन्डलिंग प्रै.लि., मुंबई के साथ, शिथिलन करार पर हस्ताक्षर
- 15.03.2014 वीटीएमएस की कमीशिंग करना
- 24.03.2014 10 वर्ष की अवधि के लिए बीओओ के आधार पर, वीओसीपीटी बर्थ ( I से VI तक, और IX) पर यांत्रिक सम्वहलाई संरचना का अप्ग्रेडेशन – संचालन शुरू हुआ
- 11.05.2014 बर्थ नं0 8 में कंटेनर टर्मिनल का वाणिज्य संचालन शुरू हुआ
- 01.10.2014 मेसर्स एनटीपीएल ने नॉर्थ कार्गो बर्थ- I में वाणिज्य संचालन शुरू किया
- 19.01.2014 एनसीबी- I और दो शेलो ड्राफ्ट बर्थों के सामने तलमार्जन काम पूरा हुआ
- 15.02.2015 लंगर पर जहाजों में, कार्गो की सम्वहलाई हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए, वीओसीपीटी के जल सीमाओं में 2 नं0 के फ्लोटिंग क्रेन्स को नियुक्त करने के लिए लाइसेन्स प्रदान करना
- 24.03.2015 पोत परिवहन मंत्रालय को आउटर हार्बर के लिए पीआइबी मेमो का प्रस्तुतिकरण
- 14.09.2015 बर्थ नं0 9 के यंत्रिकरण के लिए कार्यादेश जारी करना

- 02.03.2016 तटीय कार्गो की सम्हलाई हेतु निर्धारित बर्थ के निर्माण के लिए मेसर्स कार्यादेश जारी करना
- 03.06.2016 वी ओ चिदम्बरनार पत्तन (सागरमाला प्रॉजेक्ट) में फिसरीश कॉलेज के ठीक सामने के पत्तन की भूमि पर ट्रक पार्किंग टर्मिनल के डिज़ाइन, निर्माण एवं रखरखाव के लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर की नियुक्ति के लिए मेसर्स इमानुवेल एन्ड को0, तूत्तुकुडि को एलओए जारी करना
- 01.02.2017 पत्तन में 400 कंडबल्यू रूफ टॉप सोलार पॉवर प्लान्ट का कमीशिंग
- 06.02.2017 कोयला जेट्टी भूमि II के अपग्रडेशन के लिए मेसर्स सिस-इमजे (जॉइन्ट वेन्चर) को एलओआई जारी करना
- 20.02.2017 पीपीपी मोड पर निर्माण सामग्री की सम्हलाई के लिए शेलो ड्राफ्ट बर्थ के निर्माण हेतु मेसर्स इंडियन पोर्ट टर्मिनल को एलओए 1 जारी करना
- 17.03.2017 नॉर्थ कार्गो बर्थ – III (इपीसी मोड पर) के निर्माण के लिए मेसर्स यूनीसन-श्रीशैला कन्सट्रक्शन प्रैवेट लिमिटेड को एलओआई जारी करना
- 26.02.2018 पोत परिवहन के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा फिश्रीस कॉलेज के सामने ट्रक पार्किंग टर्मिनल का उद्घाटन
- 05.04.2018 तटीय कार्गो बर्थ के सामने ड्रेजिंग पूरा किया गया
- 31.07.2018 एनसीबी III का निर्माण
- 31.12.2018 बर्थ 8 & 9 के सामने (-) 14.20 मी0 तक के ड्राफ्ट की घोषणा
- 26.02.2018 पोत परिवहन के लिए माननीय मंत्री द्वारा फिश्रीस कॉलेज के सामने ट्रक पार्किंग टर्मिनल का उद्घाटन
- 03.03.2018 मूरिंग लॉन्चस का कमीशिंग
- 21.03.2018 बर्थ नं0 III & IV पर 8 मोबाइल रबड टायर्ड इलक्ट्रीकली संचालित हॉपर्स की कमीशिंग
- 05.04.2018 तटीय कार्गो बर्थ के सामने ड्रेजिंग पूरा किया गया
- 31.07.2018 एनसीबी III का निर्माण
- 11.09.2018 तीन विभिन्न जगहों पर ऑन् लाइन एम्बियंट एयर क्वालिटी अनुवीक्षण स्टेशन और चार विभिन्न जगहों पर डिस्पले यूनिटों की कमीशिंग
- 11.09.2018 डस्ट सप्रेसन के लिए मोबाइल फॉग मशीन की कमीशिंग
- 30.11.2018 पत्तन में सभी भवनों में एलईडी लाइटों का प्रबंध किया गया
- 31.12.2018 बर्थ 8 & 9 के सामने (-) 14.20 मी0 तक के ड्राफ्ट की घोषणा

## 1.7 पत्तन के प्रारंभ से यातायात निष्पादन

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन के आरंभ काल से इसका यातायात निष्पादन नीचे दिया गया है:

वर्ष	कार्गो यातायात (लाख टनों में)	कंटेनर यातायात (टीयूएस में)
1974-75	10.35	
1975-76	13.65	
1976-77	15.50	
1977-78	14.87	
1978-79	17.03	
1979-80	24.11	
1980-81	26.31	
1981-82	27.06	
1982-83	32.29	
1983-84	35.48	
1984-85	37.74	
1985-86	42.25	
1986-87	41.46	
1987-88	42.85	
1988-89	51.40	
1989-90	53.23	
1990-91	50.73	
1991-92	58.68	
1992-93	62.10	
1993-94	67.80	
1994-95	80.40	
1995-96	92.86	68619
1996-97	91.74	88769
1997-98	99.73	102464

1998-99	101.50	99512
1999-00	99.93	136612
2000-01	122.84	156978
2001-02	130.17	213509
2002-03	132.94	212925
2003-04	136.78	253880
2004-05	158.11	307310
2005-06	171.39	321060
2006-07	180.01	377102
2007-08	214.80	450398
2008-09	220.11	438548
2009-10	237.87	439948
2010-11	257.27	467752
2011-12	281.05	477096
2012-13	282.60	475599
2013-14	286.42	507735
2014-15	324.14	559727
2015-16	368.49	611714
2016-17	384.63	642103
2017-18	365.61	697631
2018-19	257.12	552123

(दिसंबर , 2018 तक)

## संरचना

- ए) पत्तन के मूल साधन हैं : पत्तन, बर्थ, वेयरहाउस, ट्रान्सिट शेड्स, खुला भंडारण की जगह, यांत्रिक उपस्कर, समुद्री सुविधाएँ और सेवा की आवश्यकता के अनुरूप विद्युत सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।
- बी) पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, पत्तन एक स्वायत्त निकाय है। महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 और भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में प्रबंध किए गए अनुसार पत्तन, काम के व्यय को चुकाने के

लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए प्राधिकृत है। विभागाध्यक्ष, आवश्यक संसाधनों को पहचानने और प्रबंध करने का दायित्व रखते हैं।

सी) आगे के विवरण नीचे दिए गए हैं :

क्षेत्र "क"

I (ए) वेयरहाउसिंग एवं भंडारण – ग्रीन गेट के अंदर

प्रकार	संख्या	स्कव0 मी0 में क्षेत्र
वेयर हाउस	3	14,940
ट्रान्सिट शेड	2	10,800
खुला क्षेत्र		कार्गो के भंडारण के लिए 5,53,000

II (बी) वेयरहाउसिंग एवं भंडारण – ग्रीन गेट के बाहर

टीएनडबल्यूएचसी तथा सीडबल्यूसी द्वारा 4,59,000 स्कव0 मी0 तक के लगभग 16 वेयरहाउस का निर्माण किया गया। कार्गो जैसे कि टिम्बर, ग्रानैट, कंटेनर, मशीनरी ..... इत्यादि के भंडारण के लिए 3,58,820 स्कव0 मी0 के लगभग तक खुला क्षेत्र उपलब्ध है।

II शिपिंग सुविधाएँ

बर्थ विवरण – क्षेत्र 'क'

विवरण	प्रकार	डिजाइन्ड/ वास्तविक ड्रॉट(एम)	क्वे लंबाई (एम)	वर्ष 2017-18 के दौरान सम्हाले गये जहाज का वास्तविक अधिकतम लंबाई	वर्ष 2017-18 के दौरान सम्हाले गये जहाज का वास्तविक अधिकतम डीडबल्यूटी (टनों में)	टिप्पणियाँ
बर्थ सं-I	समीपवर्ती	9.30	168	164.34	22201	ट्रान्सिट शेड की व्यवस्था की गयी (ब्रेक बल्क)
बर्थ सं-II	समीपवर्ती	9.30	168	199.90	63629	ट्रान्सिट शेड की व्यवस्था की गयी (ब्रेक बल्क)
बर्थ सं-III	समीपवर्ती	10.70	192	199.97	63273	खुला (ब्रेक बल्क/सूखा बल्क)



विवरण	प्रकार	डिजाइन्ड/ वास्तविक ड्रॉट(एम)	क्वे लंबाई (एम)	वर्ष 2017-18 के दौरान सम्हाले गये जहाज का वास्वविक अधिकतम लंबाई	वर्ष 2017-18 के दौरान सम्हाले गये जहाज का वास्तविक अधिकतम डीडबल्यूटी (टनों में)	टिप्पणियाँ
बर्थ सं-IV	समीपवर्ती	10.70	192	190.00	58114	खुला (ब्रेक बल्क/सूखा बल्क)
बर्थ सं-V	समीपवर्ती	8.60	168	189.99	53533	खुला (ब्रेक बल्क)
बर्थ सं-VI	समीपवर्ती	9.30	168	199.98	63024	खुला (ब्रेक बल्क)
बर्थ सं-VII	समीपवर्ती	11.70	370	193.03	25474	कंटेनर सम्हालने हेतु 15.7.98 से एम/एस. पीएसए सिकाल लि. को बीओटी के आधार पर बर्थ सौंपा गया है ।
फिन्नार जेट्टी	समीपवर्ती	4.50	121	--	--	मरैन वर्कशाप काम्प्लेक्स
तेल जेट्टी	जेट्टी का प्रकार	13.0	228	189.80	51,762	मरैन अन्लोडिंग आर्मस की व्यवस्था की गयी
कोयला जेट्टी I	जेट्टी का प्रकार	13.0	301	199.98	72,322	शोर सिसेप्शन हॉपर की व्यवस्था है
कोयला जेट्टी II	जेट्टी का प्रकार	13.0	318	190.00	57161	शोर सिसेप्शन हॉपर की व्यवस्था है
शेलो ड्रॉट बर्थ	समीपवर्ती	5.85	140	115	8586	खुला (ब्रेक बल्क/सूखा बल्क)
बर्थ -VIII	समीपवर्ती	14.2	345.5	262.00	58,792	खुला (ब्रेक बल्क/सूखा बल्क)
बर्थ -IX	समीपवर्ती	14.2	334.5	229.02	82,629	खुला (ब्रेक बल्क/सूखा बल्क)
एनसीबी -I	समीपवर्ती	14.0	306	229.00	82177	टीएनईबी-एनएलसी जेवी को केप्टिव बर्थ
एनसीबी II	समीपवर्ती	14.0	306			--
इएआरएम	समीपवर्ती	7.4	140	105		

### III. कार्गो सम्वहलाई उपस्कर

क्र.सं.	विवरण	पत्तन का निजी		पत्तन द्वारा किराया		टिप्पणी
		मात्रा	क्षमता दर	मात्रा	क्षमता दर	
1	हार्बर मोबाइल क्रेन	--	--	2 सं०	124 टी	पीपीपी मोड के अधीन, 10 वर्ष की अवधि के लिए, राजस्व शेयर पर 26.55% के आधार पर, मेसर्स एमकोला क्रेन कंपनी प्रैवेट लि०, मुम्बई द्वारा नियोजित
2	वार्फ क्रेन	2 सं०	6 टी & 10 टी	--	--	--
		3 सं० (ग्राब)	20 टी	--	--	--
3	फ्लोटिंग क्रेन	1 सं०	6 टी @ 19.81 मी० रेडियस	*1 सं०	35 टी	*आउटर एन्करेज पर कार्गो की सम्वहलाई के लिए राजस्व शेयर के आधार पर मेसर्स सीपोर्ट लॉजिस्टिक्स प्रै० लि०, तूत्तुकुडि द्वारा नियोजित
4	फोर्क लिफ्ट ट्रक	--	--	--	--	--
5	इलक्ट्रिक फोर्क लिफ्ट ट्रक	--	--	--	--	--
6	पे लोडर्स	--	--	--	--	--
7	ट्राक्टर	--	--	12 सं०	--	मेसर्स पीएसए सिकॉल प्रै०लि० द्वारा नियोजित
8	ट्रान्सफर क्रेन्स	--	--	--	--	--
9	कंटेनर क्वे क्रेन्स	--	--	--	--	--
10	टॉप लिफ्ट ट्रक्स	--	--	--	--	--
11	ग्रेन्ट्री क्रेन्स			8 सं०		मेसर्स पीएसए सिकॉल प्रै०लि० द्वारा नियोजित
ए	रेल माउन्टेड क्वे क्रेन्स			3 सं०		मेसर्स पीएसए सिकॉल प्रै०लि० द्वारा नियोजित
11	ट्रेलर्स			21 सं०		मेसर्स पीएसए सिकॉल प्रै०लि० द्वारा 7 वें बर्थ पर 12 नं० और मेसर्स डीबीजीटी प्रै० लि० द्वारा 8 वें बर्थ पर 9 नं० नियोजित किया गया ।
12	रीच स्टार्कर्स	--	--	2 सं०		मेसर्स डीबीजीटी प्रै० लि० द्वारा 8 वें बर्थ पर नियोजित किया गया ।
13	प्रेम मूवर्स	--	--	8 सं०	--	मेसर्स डीबीजीटी प्रै० लि० द्वारा 8 वें बर्थ पर नियोजित किया गया ।

#### IV. विविध सेवाएँ :

- \* वेई ब्रिज
- \* रीफर कार्गो के लिए स्टेन्ड बय जनरेटर
- \* फायर सर्विसबल राउन्ड द क्लॉक वीएचएफ कम्प्यूनिकेशन्स

#### V. अन्य एजेन्सियों द्वारा प्रबंध की जा रही सुविधाएँ :

- \* बंकरिंग जहाज के लिए स्वच्छ पानी की पूर्ति
- \* कंटेनर टर्मिनल संचालक मेसर्स डीबीजीटी और केप्टिव कोल बर्थ (एनसीबी - I) द्वारा प्रदान सेवाएँ
- \* जहाज एवं कार्गो सर्वे मरेन अन्लॉडिंग आर्मस् कोल जेट्टी कन्वेयर्स
- \* पूर्व विकसित उपकरणों सहित जैसे कि क्वे क्रेन्स, रब्ड टायर गेन्ट्री क्रेन्स के साथ कन्टेनर टर्मिनल को, मेसर्स पीएसए सिकॉल द्वारा संचालित किया जाता है ।
- \* वॉटर सर्वे के तहत, जहाजों से शिप्स वेस्ट ऑयल गार्बेज क्लीयरन्स / स्लज ऑयल क्लीयरन्स ।

#### VI. अन्य सूचनाएँ

##### क्षेत्र – “ क ”

- क) वॉटर स्प्रेड क्षेत्र : 663.60 एकड या 268.55 एकटेयर
- ख) भूमि क्षेत्र : 3476.85 एकड या 1407.03 एकटेयर

##### क्षेत्र – “ ख ”

पत्तन क्षेत्र, काम्पउन्ड वॉल द्वारा, उत्तर में कोल मजदूर लाइन से बीच रोड के समीप से और दक्षिण में जार्ज रोड के सामने, बोट रिपेयर यार्ड तक, बंद है ।

ए	वाटर स्प्रेड	36.31 एकड
बी	भूमि क्षेत्र	373.88 एकड या 151.30 एकटेयर
सी	भंडारण क्षमता छतदार क्षेत्र	11270 स्कव0 मी0
	कम्बस्टिबल शेड और ड्यूटियेबल कार्गो शेड को शामिल करते हुए ट्रान्सिट शेड एवं भंडारण  खुला खुला प्लाटफार्म	15700 स्कव0 मी0

### 3. वातावरण :

पत्तन न्यास ने, सर्विस की आवश्यकतानुसार, अनुरूपता प्राप्त करने की अनिवार्यता से अच्छा कार्य वातावरण, जैसे कार्य स्थल पर उपयुक्त वायु संचालन, पेयजल की सुविधा, कंटीन, शौचालय, पर्याप्त रोशनी की सुविधा, आम्बुलेन्स, फस्ट एड और व्यक्तिगत प्रोटक्शन उपस्कर (सुरक्षा अप्लैयन्सस) जैसे कि हेल्मेट, गूगल और नोस मास्क, का प्रबंध करता है । उपस्कर संचालकों को जूते और अन्य सुरक्षा अप्लैयन्सस भी दिए जाते हैं । उपस्करों की सुरक्षा, निवारक रखरखाव करते हुए तुरंत सुनिश्चित किया जाता है । संरक्षा संचालनों एवं सडक यातायात में सभी कर्मचारियों/श्रमिकों/पत्तन उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता लाने के लिए, हर वर्ष संरक्षा सप्ताह आयोजित किया जाता है। कार्य क्षेत्र को साफ रखा जाता है । पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जाती हैं । पत्तन एक बॉडी कॉरपोरेट है जिसे बोर्ड, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सत्रह न्यासी गण शामिल है और अध्यक्ष की अध्यक्षता द्वारा नियंत्रण किया जाता है और पोत परिवहन विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत है ।

### पत्तन के ग्राहक :

ए) पत्तन के उपभोक्ता है :-

- 1) वेसल के मास्टर
- 2) स्टीमर एजेन्ट
- 3) स्टीवडोर्स
- 4) कस्टम हाउस (सी एवं एफ) एजेन्ट
- 5) आयातकार एवं निर्यातकार
- 6) अन्य पत्तन उपभोक्ता

6) स्टेकहोल्डर्स हैं :

- \* मेसर्स सदरन पेट्रो केमिकल इन्डस्ट्रीस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- \* टूटीकोरिन थर्मल पॉवर स्टेशन
- \* मेसर्स स्टेर्लैट इन्डस्ट्रीस लिमिटेड

- \* मेसर्स धारंगधारा केमिकल्स लिमिटेड
- \* मेसर्स टूटीकोरिन अल्कली केमिकल्स एन्ड फर्टिलैजेर्स लिमिटेड
- \* एनटीपीएल
- \* इंडीयन भारत प्रैवेट लिमिटेड
- \* कोस्टल एनर्जी

## बी) ग्राहक की आवश्यकता को पहचानना :

- वर्ष में एक बार, ग्राहकों को प्रश्नावली भेजते हुए ग्राहक की संतुष्टि का सर्वे आयोजित किया जाता है । उनके द्वारा दिए गए सुझावों / आवश्यकताओं पर, समग्र आवश्यकताओं के आधार पर, कार्यवाही की जाती है ।
- **पत्तन उपभोक्ताओं की बैठक :** अध्यक्ष, पत्तन के उपभोक्ताओं के साथ, उनकी कठिनाइयों एवं आवश्यकताओं को पहचानने के लिए नियमित अवधि में बैठक आयोजित करते हैं । जहां तक संभव हो, उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है ।
- **संचालन समिति की बैठक :** यातायात प्रबंधक, सभी कार्य दिवसों में स्टीमर एजेंट के साथ संचालन समिति की बैठक आयोजित करते हैं और उक्त बैठक में जहाजों की बर्थिंग और संबंधित सेवा की सुविधाओं पर निर्णय लिया जाता है । बर्थिंग से संबंधित किसी भी समस्या को उसी वक्त निवारण किया जाता है । बर्थिंग कार्यक्रम अब स्वचालित है ।
- **संपर्क :** ग्राहकों द्वारा पत्र के माध्यम से अनुरोध की गई सेवा की सुविधाओं पर संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाती है ।
- **दैनंदिन सेवा :** ग्राहकों द्वारा अपेक्षित नित्यकर्म सेवाओं को पत्तन के संबंधित यूनिटों द्वारा प्रबंध किया जाता है ।

## सी) ग्राहक से संपर्क :

यातायात प्रबंधक, कार्गो संबंधित सेवाओं के संबंध में ग्राहकों से संपर्क बनाते हैं । वे ही, उनकी पूछताछ का विस्तृत विवरण देते हैं । यातायात प्रबंधक कान्स्ट्रक्टर के बारे में, संशोधनों को शामिल, विवरण बताते हैं । यातायात प्रबंधक, पत्तन द्वारा प्रबंध की जा रही सुविधाओं और पत्तन आने के लिए या उनके दर्शन के दौरान, पत्तन में उपलब्ध सुविधाओं की सूचना भी देते हैं । यातायात प्रबंधक, संभावित ग्राहकों को पत्तन की गतिविधियों एवं सेवाओं का वर्णन करते हुए पत्तन की रूप रेखा भी देते हैं ।

उप संरक्षक, जहाजों से संबंधित सेवाओं के संबंध में भी ग्राहकों से संपर्क बनाते हैं।

मुख्य अभियंता, भूमि की उपलब्धता, भूमि के लिए अद्यतन दर और भूमि के आबंटन के लिए निविदा में भाग लेने हेतु अनुरोध से संबंधी, ग्राहकों के साथ संपर्क रखते हैं। मुख्य अभियंता पत्तन क्षेत्र को साफ और हरा रखने पर भी ग्राहकों से संपर्क करते हैं।

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी दरों के मान के बारे में ग्राहकों के साथ संपर्क रखते हैं (विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क)।

मुख्य यांत्रिक अभियंता, पत्तन द्वारा दी जा रही यंत्रीकृत उपस्करों की विभिन्न सेवाओं के संबंध में, ग्राहकों के साथ ना केवल संपर्क रखते हैं अपितु उन्हें विद्युत क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी विवरणों की सूचना देते हैं।

- सामान्यतः यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहकों के साथ अन्तराफलक शिष्ट एवं प्रभावी है ।
- उपभोक्ता अन्तराफलक क्षेत्रों पर शिकायतपंजी कायम होती है । संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही की जाती है और संबंधित उपभोक्ता को सूचित किया जाता है ।

ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने और व.उ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास के अंदर विभिन्न विभागों एवं ग्राहकों के बीच प्रभावी संपर्क सुनिश्चित करने के लिए, ग्राहकों की जानकारी के लिए व.उ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास के अंदर कुछ एक मुख्य संपर्कों की सूची निम्न है :

ए) **सेवा की सूचना**

- यातायात प्रबंधक
- उप संरक्षक
- मुख्य यांत्रिक अभियंता

बी) **सामान्य पूछताछ** : सहायक यातायात प्रबंधक (वाणिज्य)

सी) **दरों का मान** : वित्तीय सहायकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

डी) **बिलों की चुकौती** : लेखा अधिकारी (राजस्व)

ई) **ग्राहक की शिकायतें** : संबंधित क्षेत्र जहां उपभोक्ता का अन्तराफलक है ।

- एफ) ग्राहक की संतुष्टि : प्रबंध प्रतिनिधि
- जी) नई सेवाओं के लिए प्रॉजेक्ट : मुख्य अभियंता, मुख्य यांत्रिक अभियंता एवं उप संरक्षक
- एच) जहाजों से संबंधित सूचना : सिग्नल स्टेशन, (वीटीएमएस) एवं सुरक्षा संबंधी सूचना
- आई) वेसल की बर्थिंग के विवरण : सिग्नल स्टेशन
- जे) वार्फ उपस्कर संचालन : सर्विस स्टेशन सहायक कार्यकारी अभियंता (डबल्यू ई ओ)
- के) बर्थिंग नॉम्स / बर्थिंग कार्यक्रम : बर्थिंग सेल

#### 4.(ए) पत्तन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का संक्षिप्त विवरण :

पत्तन द्वारा प्रदान प्रमुख सेवाएं :

1. जहाज से संबंधित सेवाएं :
  - बर्थिंग / अन्बर्थिंग के जहाजों
  - पायलटेज सेवाएं
  - टग एवं अन्य लान्चस संचालन / सहायता
  - वीएचएफ (संपर्क सेवाएं)
  - वीटीएमएस अनुवीक्षण सेवाएं
  - रेन्डरिंग फायर सर्विस
  - तैलीय प्रदूषण का रोकथाम / अनुक्रिया सेवाएँ
  
2. कार्गो से संबंधित सेवाएं :
  - कार्गो की अनुमति
  - कार्गो का भंडारण
  - कार्गो की सम्वहलाई
  - ट्रान्सिट शेड
  - वेयर हाउस

- खुला भंडारण क्षेत्र
- वार्फ क्रैन्स
- टॉप लाइफ ट्रक्स

### 3. विविध सेवाएं :

- बिलों की चुकौती
- विद्युत की आपूर्ति
- अग्नि सेवा
- वीओसी II एवं III पर शोर पॉवर

(बी) विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान सेवाएं निम्नलिखित हैं ।

#### 1. यातायात विभाग :

- 1) बर्थिंग प्लान और बर्थिंग सेल पर निष्पादन का अनुवीक्षण
- 2) आवेदनों की प्रॉसेसिंग और केन्द्रीय प्रलेखीकरण केन्द्र पर कार्गो से संबंधित प्रभारों की वसूली
- 3) ग्रीन गेट में कार्गो की अनुमति एवं डेलिवरी
- 4) कार्गो के भंडारण के लिए खुला एवं जगहों का प्रावधान
- 5) विभिन्न बर्थों, वार्फ एवं जेट्टी पर बर्थ संचालन
- 6) कन्टेनर की सम्हलाई एवं भंडारण के लिए उपस्कर और जगह का प्रबंध
- 7) नौवहन नियंत्रण के साथ समन्वय
- 8) खुले क्षेत्रों को आबंटन, जहाज सम्हलाई लाइसेन्सों,स्टीवडोरिंग चान्डलिंग लाइसेन्सों को जारी करना, वाहनों एवं कार्मिकों के प्रवेश के लिए अनुज्ञा पत्र जारी करना, एवं वाहनों के फ्लो का अनुवीक्षण करना, संरक्षा सुनिश्चित करना
- 9) सहायक यातायात प्रबंधक के कार्यालय में प्रलेखीकरण यूनिट पर जहाज के लेखों का प्रलेखीकरण एवं फाइनलैजेशन
- 10) सहायक निदेशक (अनुसंधान) के कार्यालय में सांख्यिकी डेटा का संकलन और विश्लेषण



## 2. समुद्री विभाग :

- 1) फ्लोटिंग क्राफ्ट्स का संचालन
- 2) अग्नि-शमन सेवाएँ
- 3) पत्तन जल के अंदर प्रदूषण नियंत्रण
- 4)
- 5) वेसल यातायात प्रबंधन प्रणाली का अनुवीक्षण
- 6) मौसम विज्ञान विषयक डेटा एकत्र करना और भेजना
- 7) आइएसपीएस का अनुपालन

## 3. यांत्रिक इंजीनियरी विभाग :

- 1) कार्गो एवं कन्टेनर की सम्हलाई के लिए प्रयोग यांत्रिक उपकरणों का संचालन तथा रखरखाव
- 2) पीपीपी प्रॉजेक्टों एवं अन्य राजस्व शेयर मॉडल प्रॉजेक्टों की प्लानिंग एवं निष्पादन
- 3) रेफर कन्टेनर एवं खोदी क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति
- 4) पत्तन क्षेत्र में बिना रुकावट के विद्युत की आपूर्ति
- 5) वीओसी II एवं III पर बर्थड् जहाजों को शोर पॉवर देना
- 6) विभिन्न यांत्रिक/इलक्ट्रीकल उपस्करों के निष्पादन का विश्लेषण
- 7) सभी विभागों के लिए भंडारों की खरीद। सभी विभागों के लिए भंडारों का स्वामित्व और अधिशेष तथा अनुपयोज्य यंत्रों एवं भंडारों का निपटान
- 8) फ्लोटिंग क्राफ्ट, वॉटर बार्जस एवं अन्य फ्लोटिंग क्राफ्ट्स का रखरखाव
- 9) टेलिफोनिक एक्सचेन्ज , सीसीटीवी तथा अन्य संचार उपकरणों का रखरखाव
- 10) टग एवं फ्लोटिंग क्राफ्ट्स का आवधिक डॉकिंग एवं सर्वे स्टेशन का रखरखाव

#### 4. चिकित्सा विभाग :

- 1) सभी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों (पत्तन एवं सीएचडी), के0औ0सु0ब0 के कार्मिक एवं उनके पति/पत्नी एवं आश्रितों, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके पति/पत्नी के लिए चिकित्सा का प्रबंध करना ।
- 2) पत्तन अस्पताल के केसुअल्टी ब्लॉक में, पत्तन के नियमित आउट पेशन्ट के लिए निर्धारित समय के अतिरिक्त पत्तन के कर्मचारियों के अलावा, आम जनता को भी आकस्मिक सेवाएं जैसे कि सडक दुर्घटना के आहतों को प्रथमोपचार, चौबीसों घंटे प्रदान की जाती है ।
- 3) पूर्ण रूप से एयर कन्डीशन्ड ओ.टी. में स्पेशलिस्ट द्वारा सभी संबंधित सर्जरी की जाती हैं ।
- 4) पत्तन अस्पताल में चौबीसों घंटे, सभी सामान्य एवं कॉम्पलीकेटेड प्रसव देखे जाते हैं ।
- 5) डॉक सेफ्टी, शैक्षिक एजेन्सी, सीआईएसएफ, हार्बर डाकघर, टीएनएमए, आर ए ओ, सीएचएलपी, दक्षिण रेल्वे के कर्मचारी को, भुगतान शर्तों पर, चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं ।
- 6) तूत्तुककुडि शहर में निवास, पत्तन के कर्मचारी एवं उनके आश्रितों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके पति-पत्नी को आवश्यक चिकित्सा देने के लिए टाउन क्षेत्र में स्थित चिकित्सा विभाग का दवाखान पक्ष प्रदान करता है
- 7) वीओसी वार्ड एवं अतिरिक्त बर्थ तथा क्षेत्र "ख" संचालनीय क्षेत्रों पर प्रथमोपचार की सेवाओं का प्रबंध किया गया है।
- 8) गोदी क्षेत्र में कार्यरत पत्तन कर्मचारियों के लिए आवधिक चिकित्सा परीक्षण आयोजित किये जा रहे हैं ।
- 9) रेफरल आधार पर, बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्पेशलैज्ड अस्पतालों के जरिए कर्मचारियों को स्पेशलिस्ट चिकित्सा दिए जा रहे हैं।

#### 5. सिविल इंजीनियरी विभाग :

- 1) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कार्गो की सम्हलाई हेतु अनिवार्य संरचना की प्लानिंग एवं विकास करना

- 2) कार्गो के निष्पादन को बढ़ाने हेतु, बर्थों एवं उपकरणों का अपग्रेडेशन तथा अधुनिकीकरण करना
- 3) यातायात की मांगों को पूरा करने हेतु, नए बर्थों/जेट्टियों का निर्माण करना
- 4) उच्चतम आकार के वेसलों की सम्हलाई के लिए, बर्थों, बेसिन एवं चैनल के आगे की गहराई बढ़ाना
- 5) तट के किनारों को क्षरण/अक्विएशन से बचाने के लिए तट संरक्षण उपायों की रचना करना
- 6) पत्तन में सुरक्षा बढ़ाने हेतु संचालन क्षेत्रों में सुरक्षा की व्यवस्था करना
- 7) संरचना के विकास एवं बर्थों के निर्माण के लिए डिज़ाइन एवं ड्राइंग तैयार करना
- 8) पत्तन एवं आवासीय क्षेत्रों में पानी की पूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य का उपयुक्त रखरखाव करना
- 9) हरी पट्टी को बढ़ाने हेतु पत्तन क्षेत्र में और उसके आस पास वृक्षारोपण /उद्यान का विकास करना
- 10) पत्तन और उसके संचालनीय क्षेत्र में उपयुक्त पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण समझौतों एवं मुकदमेबाजी उपायों का निरंतर अनुवीक्षण करना
- 11) आवश्यकतानुसार सडक कार्यों का विकास तथा रखरखाव
- 12) पीपीपी मोड के जरिए परियोजनाओं का विकास करना
- 13) सम्हाले जा रहे वेसलों की संरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु, हैड्रोग्राफिक सर्वे, सबसॉइल इन्वेस्टीगेशन, फिसीकल तथा मेटेमेटिकल मॉडल स्टडीस, सिमुलेशन स्टडीस... इत्यादि का आयोजन करना
- 14) डिपॉसिट कार्यों को शुरू करना
- 15) पत्तन क्षेत्र में रेल्वे लाइन का विकास एवं रखरखाव करना
- 16) कार्गो की सम्हलाई/स्टॉकिंग के लिए खुले/बंद स्टाक यार्ड का विकास करना
- 17) सभी संपदा संबंधी कार्य करना, जिसमें भूमि का आबंटन शामिल है
- 18) आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों का निर्माण एवं रखरखाव करना

- 19) वार्फ वेयरहाउसों, ट्रान्सिट शेडों, ब्रेक वॉटर्स, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन.... इत्यादि का रखरखाव करना
- 20) ठोस एवं तरल अपशिष्ट कूड़ा-कचरों को इकट्ठा करने हुए निपटाना
- 21) बोल्लार्डस् एवं फेन्डर्स का रखरखाव करना

#### 6. वित्त विभाग :

- 1) सेवा प्रदान करने वाले विभागों से प्राप्त चेक/डिमान्ड ड्राफ्ट की प्राप्ति एवं लेखीकरण
- 2) जहाज से संबंधित सेवाएं, कार्गो से संबंधित सेवाएं तथा अन्यसेवाओं के प्रलेखीकरणों की जांच
- 3) बिलों की चुकौती
- 4) बजट की तैयारी एवं व्यय का नियंत्रण
- 5) सभी विभागों को इडीपी का सहयोग प्रदान करना
- 6) ई-मोड के जरिए सभी भुगतान करना

#### 7. सामान्य प्रशासन विभाग :

- 1) बोर्ड की बैठक एवं विभागाध्यक्षों की बैठक का आयोजन । पत्तन के सभी अधिकारियों एवं आम वर्ग के पदों की स्थापना विषयों को देखना
- 2) लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति एवं स्थापना विषय
- 3) भर्ती नियम एवं नीति निर्णयों की तैयारी
- 4) विधि एवं अनुशासनिक कार्यवाही का अनुवर्तन
- 5) औद्योगिक संपर्क एवं सार्वजनिक शिकायतें
- 6) मंत्रालय के अन्य विभागों/अन्य कार्यालयीन पत्राचारों का समन्वय करना
- 7) राजभाषा अनुभाग
- 8) कार्मिकों का प्रशिक्षण

- 9) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/आइ पी ए संबंधी पत्राचार
- 10) जन संपर्क अनुभाग
- 11) क्वॉटरों का आबंटन
- 12) नैगम सामाजिक दायित्व योजना का कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण करना
- 13) जब कभी भी आवश्यकता पडती है तो पत्तन क्षेत्र में निजी सुरक्षा कार्मिकों का प्रबंध करना

### सतर्कता विभाग

#### प्रशासनिक ढांचा एवं कार्य

वी.ओ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास के मुख्य सतर्कता अधिकारी के सीधे नियंत्रण के अधीन पत्तन का सतर्कता विभाग कार्य करता है ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, ब्लाक-ए, आइ एन ए, नई दिल्ली - 110 023	दूरभाष नं० (011)-24651001 फेक्स नं० (011)-24651010
श्री दीपक चतुर्वेदी, आईटीएस मुख्य सतर्कता अधिकारी	दूरभाष नं० 0461-2352253 (कार्यालय)

#### 5. विभिन्न सेवाओं के लिए अपनायी गई समय सीमा (बेन्च मार्क)

सेवाएं	बेन्च मार्क	
जहाजों पर पायलट की बोर्डिंग	1 घंटा, 10 मिनट	
बिलों की चुकौती	3 दिनों के अंदर	
जहाज से संबंधित		
कार्गो से संबंधित	3 दिनों के अंदर	
आपूर्ति एवं कार्य	3 दिनों के अंदर	
कार्गो सम्हलाई उपस्कर की उपलब्धता	90 %	
कन्टेनर सम्हलाई उपस्कर की उपलब्धता		
सेवाएँ	बेन्च मार्क	
	पत्तन लेखा	कुल (पत्तन + अपत्तन लेखा)
दिनों में जहाजों का औसत टर्न राउन्ड टाइम		
द्रव बल्क	1.65	2.90

सूखा बल्क – मेक	3.40	5.10
सूखा बल्क – कॉन	3.80	6.40
कन्टेनर	1.05	1.30
ब्रेक बल्क	2.80	5.30
ओवर ऑल	2.25	3.30
<b>दिनों में औसत प्री-बर्थिंग डिटेन्शन समय</b>		
द्रव बल्क	0.09	0.90
सूखा बल्क – मेक	0.04	1.40
सूखा बल्क – कॉन	0.80	2.90
कन्टेनर	0.00	0.25
ब्रेक बल्क	0.30	2.20
ओवर ऑल	0.27	1.40
<b>दिनों में औसत शिप बर्थ डे आउट-पुट</b>	<b>बेन्चमार्क</b>	
द्रव बल्क	3,830	
सूखा बल्क – मेक	13,50	
सूखा बल्क – कॉन	10,40	
कन्टेनर	21,50	
ब्रेक बल्क	2,120	
ओवर ऑल	10,50	

## 6. प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए शुल्क :

पत्तन द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क, मानदरों में दिए गए हैं और पत्तन के वेब साइट [डबल्यू.डबल्यू.डबल्यू.वीओसीपोर्ट.गव.इन](http://डबल्यू.डबल्यू.डबल्यू.वीओसीपोर्ट.गव.इन) में भी उपलब्ध है।

## लोक शिकायत निवारण प्रक्रिया

### 7. लोक शिकायत निवारण :

पोत परिवहन मंत्रालय के निदेशों के अनुसरण में, अध्यक्ष, वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास ने पत्तन न्यास के सचिव को, लोक शिकायत निवारण प्रक्रिया के मज़बूतीकरण के

लिए, शिकायतों के निवारण हेतु, दिनांक 7.12.2005 से निदेशक के रूप में, नियुक्त किया है। निदेशक, शिकायत के विवरण नीचे दिए गए हैं :

### सचिव एवं निदेशक, लोक शिकायत

वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास  
हार्बर एस्टेट  
तूत्तुकुडि - 628 004

दूरभाष (कार्या0) 0461-2352232 , फ़ैक्स (0461) 2352301,  
ई मेल : इन्फो@वीओसीपीटी.गव.इन, सेक्रीटरी@वीओसीपीटी.गव.इन

उपर्युक्त विवरणों को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 को, इसकी एक प्रति सूचना मंत्रालय को भी भेजते हुए, केन्द्रित लोक शिकायत निवारण एवं अनुवीक्षण प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) नामक वेबसाइट में प्रकाशन करने के लिए, सितंबर, 2007 के दौरान भेजा गया था। यह पोर्टल किसी भी भूगोलिक स्थल से नागरिकों द्वारा इन्टरनेट के जरिए ऑनलाइन के माध्यम से दर्ज शिकायत को प्राप्त करने में भी सुविधाजनक है। ऊपर के अलावा, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास भी , व्यक्तियों की शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए हफ्ते के दिनों में समय निकालते हैं।

### शिकायत निवारण दिन :

अध्यक्ष द्वारा प्राप्त शिकायत प्रतिवेदनों निम्नलिखित दिन एवं समयों में प्राप्त किये जाते हैं :

#### सभी कार्य दिवस

पत्तन उपभोक्ता, बैंक कर्मचारी  
एवं पत्तन से संबंधी अन्य कर्मचारी : 12.00 से 13.00 तक (सिर्फ पूर्व समयादेश पर)

शुक्रवार मात्र : 11.00 से 13.00 तक  
(शिकायत दिन, कर्मचारी, जनता एवं यूनियन)

### 8. औद्योगिक संपर्क :

जहाँ तक व उ चिदम्बरनार पत्तन के अंदर विद्यमान औद्योगिक संपर्क का संबंध है , तो लाभप्रद औद्योगिक संपर्क वातावरण को कायम रखने के लिए पत्तन के पास

एक बेहतरीन एवं पूर्ण विकसित औद्योगिक संपर्क अनुभाग है। सचिव, व उ चिदम्बरनार पत्तन न्यास को औद्योगिक संपर्क प्रबंधन के कार्य सौंपे गए हैं और उन्हें एक उप सचिव इस काम में सहयोग देते हैं। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा प्राप्त शिकायत प्रतिवेदनों को पंजीकरण करने के बाद संबंधित विभागाध्यक्षों के पास उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु भेजा जाता है। इसके अलावा, संघ भी अपनी शिकायतों को अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के ध्यान में लाते हैं। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के साथ बैठक बुलाकर, लंबित मामलों का निपटान किया जाता है। यूनियन एवं कर्मचारियों से प्राप्त शिकायत प्रतिवेदनों की समीक्षा आवधिक तौर पर की जाती है जब तक कि मामलों का निपटान नहीं हो जाता। वो मामलों जिनका निपटान नहीं किया जा सका, को यूनियनों द्वारा उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार सहायक श्रम आयुक्त के जरिए समाधान हेतु लेकर जाया जाता है। और तो और, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष भी शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए जनता, कर्मचारी और ट्रेड यूनियनों से मिलते हैं।

## 9. नागरिक/ग्राहक से अपेक्षाएँ

### i) नागरिक से अपेक्षाएँ

लोक शिकायत कक्ष, वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास में, निदेशक लोक शिकायत के नियंत्रणाधीन प्रभावी रूप से कार्यरत है। अध्यक्ष/वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास ने सचिव/ वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास को, " निदेशक, लोक शिकायत " के रूप में नियुक्त किया है। नागरिकों से प्राप्त लोक शिकायतों को बड़े ध्यान से परीक्षण किया जाता है और वास्तविक मामलों, जो नियम एवं विनियम के दायरों के अंदर हैं, पर विचार करते हुए, बिना देरी के आवेदक को न्याय दिलाते हैं। उसी तरह, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचनाओं को, अध्यक्ष/वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जांच-पड़ताल भी की जाती है और अपेक्षित सूचनाओं को, वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास के संबंधित विभागों से एकत्र करते हुए, निर्धारित समय के अंदर, आवेदक को भेजा जाता है। अपील, आवेदकों से अगर कोई हैं, तो निर्धारित समय के अन्दर उनके उत्तर दिये जाते हैं। आवेदकों को दिए गए उत्तरों को, मंत्रालय के पोर्टल में भी अपलोड किए गए हैं।

### ii) ग्राहकों से अपेक्षाएँ

पत्तन के प्रमुख ग्राहक हैं :

- क) उनके एजेन्टों के जरिए शिपिंग लाइन्स
- ख) स्टीवडोर्स
- ग) उनके सीमाशुल्क हाउस एजेन्टों द्वारा प्रतिनिधि किए गए आयातकार एवं निर्यातकार



- घ) जहाजों/वेयरहाउसों में, लादान/अवतारण की गतिविधियों को करने हेतु विभिन्न सर्विस प्रबंधकर्ता

ग्राहकों की अपेक्षा है :

### शिपिंग लाइन्स / स्टीमर एजेन्ट्स :

- क) बिना देरी के वेसलों की बर्थिंग
- ख) बंकरिंग/स्वच्छ पानी की पूर्ति
- ग) अच्छे उपयुक्त बर्थिंग सुविधा/नौचालन सुविधाएँ
- घ) नौवहन और उससे संबंधी मामलों में संरक्षा
- ङ.) सुरक्षा
- च) पायलटेज़ सर्विस
- छ) उपयुक्त संचार सुविधा
- ज) पारदर्शी प्रकट दस्तावेजीकरण/ वेसल निकासी
- झ) सुरक्षा

### स्टीवडोर्स :

- क) अबाध संचालनों की सम्वहलाई
- ख) लाइसेन्स/नवीकरण पर पारदर्शी पद्धति
- ग) गेयर्स/उपस्करों का निरीक्षण
- घ) श्रम गेन्स का आसानी से बुकिंग
- ङ.) उपस्करों की उपलब्धता एवं आबंटन

### आयातकार/ निर्यातकार :

- क) प्रलेखीकरण की आसान, पारदर्शी पद्धति, आवेदनों को शीघ्र निपटाना, इडीआई कार्रवाई के प्रभारें

ग्राहकों की अपेक्षाओं को, जहाँ तक संभव हो सके, उपलब्ध सूचनाओं के साथ पूरे किये जाते हैं । बिलों, प्रलेखीकरण एवं इडीआई लेन-देन में लगातार सुधार किये जा रहे हैं । जब जब आवश्यकता पडता है, तब तक सरकार के अनुमोदन से संरचना सुधार भी किये जा रहे हैं । उपभोक्ताओं के साथ, कार्गो की सम्वहलाई में उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियमित बैठकें बुलायी जाती हैं । विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए बेन्च मार्क नियत किए गए हैं और मासिक विभागी बैठकों में अनुवीक्षण किया जाता है। पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी , पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक नियमित रूप से बुलाते हैं और कमांडेण्ट / केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से प्राप्त सूचनाओं को, भारतीय तट रक्षक सेवा, तूत्तुक्कुडि के साथ और सभी स्टेकहोल्डरों के साथ चर्चा करते हैं ।

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास में प्रमुख अधिकारियों के नाम एवं दूरभाष नंबर

सामान्य प्रशासन विभाग :-

क्र०सं०	हरेक गतिविधियों का नाम	अधिकारी का नाम व पदनाम	संपर्क दूरभाष नंबर	
			कार्यालय	आवास
01	वी.ओ.सी पत्तन न्यास के सभी विभागों की गतिविधियों का सर्वोपरि नियंत्रण एवं समन्वय	श्री रिकेश रॉय, आइआरटीएस अध्यक्ष	2352500	2326522 2321490
02	सभी मामलों में अध्यक्ष को सहयोग देना	श्री एस. नटराजन, उपाध्यक्ष	2352580 9443389503	
03	सामान्य प्रशासन विभाग का सर्वोपरि नियंत्रण	सचिव (i) सिटीज़न चार्टर के लिए नोडल अधिकारी (ii) निदेशक – लोक शिकायत	2372007 2352301 2352232 9443389502	
04	प्रशासनिक मामलों में सचिव को सहयोग देना और आद्योगिक संबंध अनुभाग , समन्वय अनुभाग (प्रशिक्षण एवं सीएसआर को छोड़कर), स्थापना अनुभाग – I में कर्मचारियों की अनुसूची से संबंधी कार्य, बायो सिस्टम आधारित आधार तथा दस्तावेज प्रबंधन समाधान, से संबंधी कार्य को देखना	श्री सी. राजशेखरन वरिष्ठ उप सचिव	2354071 2372004 9443389529	2354072
05	प्रशासनिक मामलों में सचिव को सहयोग देना और स्थापना अनुभाग – II (कर्मचारियों की अनुसूची को छोड़कर), बोर्ड अनुभाग तथा क्वॉटर्स अनुभाग, समन्वय अनुभाग (प्रशिक्षण एवं सीएसआर) , प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग तथा सामान्य अनुभाग के कार्य को देखना	श्रीमती ए. विद्या उप सचिव	2352303 2372010 9443185524	2372036
06	प्रशासनिक मामलों में सचिव को सहयोग देना और स्थापना अनुभाग – I के कार्य को देखना	श्री सी. उदयकुमार, सहायक सचिव ग्रेड-II	2372026 8903872038	
07	प्रशासनिक मामलों में सचिव को सहयोग देना और स्थापना अनुभाग –II के कार्य को देखना	श्री बी. राजशेखर, सहायक सचिव ग्रेड-II	2372019 9486983583	

08	राजभाषा अनुभाग		2372233	
09	विधि & अनुशासनिक कार्यवाही को देखना और पत्तन के न्यायालय मामलों तथा लोक सूचना कार्यालय (आरटीआइ) से संबंधी सभी मामलों को देखना	श्रीमती ए. दीपिका विधि अधिकारी ग्रेड- I, आरटीआइ के अधीन जन सूचना अधिकारी	2353636 2372014 & 9791806286	0462- 2521151
10	पत्तन के जन संपर्क कार्यों को देखना	श्री एम.एस. शशिराज, जन संपर्क अधिकारी	2352360 9489063555 2372415	
11	अध्यक्ष को सचिवालयी सहायता देना	श्री पी. सेन्तिलमुरुगन, अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक	2372000 9443389509	
12	उपाध्यक्ष को सचिवालयी सहायता देना	श्रीमती पी. कृष्णवैणी, उपाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक	2372005 9487278219	
13	सचिव को सचिवालयी सहायता देना	श्रीमती शांतिकमला, सचिव के वैयक्तिक सहायक	2372008	

### यातायात विभाग :-

क्र०सं०	हरेक गतिविधियों का नाम	अधिकारी का नाम व पदनाम	संपर्क दूरभाष नंबर	
			कार्यालय	आवास
01	बर्थ का आबंटन, कार्गो सम्हलाई गतिविधियों का अनुवीक्षण, कार्गो के भंडारण सुविधाओं का प्रबंध, पारपत्र जारी करना एवं निजी कार्गो सम्हलाई उपकरणों के लिए लाइसेंस और स्टीवडोरिंग लाइसेंस, शिपचेन्डलिंग लाइसेंस .. इत्यादि जारी करना	श्री यू. राजेन्द्रन यातायात प्रबंधक	9443389513	2352212 2321490
02	बर्थ का आबंटन, कार्गो सम्हलाई गतिविधियों का अनुवीक्षण, कार्गो के भंडारण सुविधाओं का प्रबंध, पारपत्र जारी करना एवं निजी कार्गो सम्हलाई उपकरणों के लिए लाइसेंस और स्टीवडोरिंग लाइसेंस, शिपचेन्डलिंग लाइसेंस .. इत्यादि जारी करना एवं सभी गतिविधियों में यातायात प्रबंधक को सहायता करना	श्री जी. एडिसन वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक	9442152291	

03	कार्गो सम्हलाई गतिविधियों का अनुवीक्षण – श्रम और उनसे संबंधित मामले	श्री टी.एस. अशोककुमार  वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक	2372854 9442152290	2352892
04	उपकरण के लिए लाइसेंस जारी करना, मार्केटिंग से संबंधित गतिविधियाँ, पत्तन उपभोक्ताओं एवं सरकारी अभिकरणों के साथ बैठक का समन्वय करना, रेल्वे तथा वेड्ब्रिजों से संबंधी पत्राचार करना, पत्तन संबंधी सांख्यिकी एवं पत्तन के कार्गो सम्हलाई परिसरों से संबंधी मंत्रालय पत्राचार करना । कार्गो सम्हलाई गतिविधियाँ एवं जहाज संचलनों का अनुवीक्षण, उपकरण लाइसेंस, शिपचेन्डलिंग लाइसेंस जारी करना । कार्गो सम्हलाई संचालनों से संबंधी विकास गतिविधियाँ, कन्टेनर संचालनों से संबंधी पत्राचार और लेखापरीक्षा पैरा के उत्तरों का समन्वय करना ।	श्री सी. रामसामी  उप यातायात प्रबंधक	2372403	
05	टाम्प ओदश , मानदरों का कार्यान्वयन, बर्थ का आबंटन, कार्गो सम्हलाई गतिविधियों को देखना, कार्गो को भंडारण सुविधा का प्रबंध करना, पारपत्र जारी करना, शिप फाइलों एवं मानदरों का अनुवीक्षण करना, रेल्वे तथा वेड्ब्रिज से संबंधी पत्राचार, वाणिज्य संबंधी मामलें, आइएसओ एवं न्यायालयी मामलों से संबंधी कार्य, कार्गो संबंधी सेवाओं और अन्य विविध सेवाओं पर प्रभारों की वसूली जारी करना, सीडीसी, किरायों की वसूली, पत्तन के अंदर भूमि का आबंटन एवं कंटेनर संचालन तथा अन्य विविधों से संबंधित पत्राचार, पोर्ट मार्केटिंग, प्रतिलभ्य मद्दों को देखना, अस्वामित्व एवं अनिकासी कार्गो की बोली ।	श्री सी. अंटोनी सुरेश मेल  वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक	9884591658	

06	बर्थिंग कक्ष	सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड ।	2372479	
07	वीओसी बर्थ I – VI , अतिरिक्त बर्थ एवं IX बर्थ से संबंधी कार्गो सम्हलाई गतिविधियों का समन्वय	सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड ।	9940061052	
08	बर्थ, कोयला एवं तेल जेट्टी और एनसीबी- I से संबंधी कार्गो सम्हलाई गतिविधियाँ	सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड ।	9486984415	
09	सुरक्षा मुद्दे	श्री अरुलराज सुरक्षा अधिकारी	2353781	
10	श्रम एवं उनसे संबंध मामलों का अनुवीक्षण और पोर्ट मार्केटिंग	सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड ।।	9962574082	

### यांत्रिक एवं इलक्ट्रीकल इंजीनियरी विभाग :-

क्र०सं०	हरेक गतिविधियों का नाम	अधिकारी का नाम व पदनाम	संपर्क दूरभाष नंबर	
			कार्यालय	आवास
01	यांत्रिक एवं इलक्ट्रीकल इंजीनियरी विभाग के सर्वोपरि प्रभारी, समग्र पत्तन क्षेत्र के इलक्ट्रीकल संस्थापन जिसमें सीसीटीवी, संचार प्रणाली, फ्लोटिंग क्राफ्ट्स शामिल है, के सर्वोपरि प्रभारी, परियोजनाओं का कार्यान्वयन, संचालन के अधीन की परियोजनाओं का अनुवीक्षण	श्री सुरेश बाबू मुख्य यांत्रिक अभियंता	2352270 2372200 9443389504	
02	यांत्रिक एवं इलक्ट्रीकल इंजीनियरी विभाग के सभी कार्यों में मुख्य यांत्रिक अभियंता को सहयोग देना	श्री जनार्थनन पिल्लै उप मुख्य यांत्रिक अभियंता	2372201 2352666 9489078666	2372234
03	मरैन वर्कशॉप, ड्रै डॉकिंग कार्य, मरम्मत एवं रखरखाव, फ्लोटिंग क्राफ्ट्स के लिए एएमसी, वॉटर स्पिंक्लर संचालन और सभी पत्तन क्षेत्र (ग्रीन गेट के अंदर व बाहर) को शामिल करते हुए वीओसी वार्फ, अतिरिक्त बर्थ, टाउनशिप, प्रशासनिक भवन में सभी इलक्ट्रीकल संस्थापन के रखरखाव अभियंता, सीसीटीवी का रखरखाव, टेलिफोनिक एक्सचेन्ज एवं संपर्क उपकरणों का रखरखाव	श्री पी. सेन्दिल कुमार अधीक्षक अभियंता (यांत्रिक)	2372207 2352013	9944691305

04	भंडारों की आपूर्ति, ई-बोली, ई-खरीद, ई-निविदा, मरम्मत, रखरखाव एवं वाहनों का संचालन, वाहनों का किराया और फील्ड वर्कशॉप का रखरखाव, सोलार, विन्ड मिल, ग्रीन पोर्ट इनीशिएटिव एवं स्वच्छ भारत, 7वाँ एवं 8वाँ बर्थ कंटेनर टर्मिनल, सभी पीपीपी प्रॉजेक्ट्स, सभी मंत्रालय पत्राचार, पूंजी उपकरण प्रापण, आरएओ टिप्पणी तथा यांत्रिकृत प्रॉजेक्ट	आर. भास्कर अधीक्षक अभियंता	2352777 2372210	9486983865
----	--	-------------------------------	--------------------	------------

### सिविल इंजीनियरी विभाग :-

क्र०सं०	हरेक गतिविधियों का नाम	अधिकारी का नाम व पदनाम	संपर्क दूरभाष नंबर	
			कार्यालय	आवास
01	सिविल इंजीनियरी विभाग एवं संपदा प्रभाग के सर्वोपरि प्रभारी	श्री सुरेश एस.पी. पाटिल मुख्य अभियंता	2352252 2372300 9443389518	2375111
02	सिविल इंजीनियरी विभाग के सभी कार्यों में मुख्य अभियंता को सहयोग देना	श्री के. रविकुमार उप मुख्य अभियंता	2372303 9443389512	
03	क्वॉन्टिटी सर्वे, रखरखाव, डिवीज़न- I, रखरखाव, डिवीज़न- II, संपदा प्रबंधन & एनबीडबल्यू डिवीज़न			
04	क्वॉन्टिटी सर्वे	श्री के. सुडलैमणि कार्यपालक अभियंता	2372316 9486983715	
05	प्लानिंग & डिज़ाइन्स, रखरखाव, डिवीज़न-एचआइ और प्रॉजेक्ट डिवीज़न	श्री सी. बालकृष्णन कार्यपालक अभियंता	2372315 9443359094	
06	रखरखाव डिवीज़न- II, रेल्वे और एनबीडबल्यू सब डिवीज़न	श्री एस. मुत्तैया अधीक्षक अभियंता (सिविल)	2372317 9486983699	2372350
07	रखरखाव डिवीज़न- I	श्री पी. जयकोडि कार्यपालक अभियंता	2372318 9443203318	
08	संपदा प्रबंधन	श्री आर. बालाजी रेत्नम कार्यपालक अभियंता	2372304 9443205506	

## चिकित्सा विभाग :-

क्र०सं०	हरेक गतिविधियों का नाम	अधिकारी का नाम व पदनाम	संपर्क दूरभाष नंबर	
			कार्यालय	आवास
01	चिकित्सा विभाग का सर्वोपरि प्रभारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	2352454	2352216
02	सभी कार्यों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सहयोग देना	वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	2372702	
03	चिकित्सा उपचार, बाहरी रोगी, तूतुकुडि में पत्तन औषधालय और पत्तन अस्पताल सर्वोपरि प्रभारी, मुख्य भंडार एन्ड एक्सरे एवं संदर्भ का मुद्दा	डॉ० जोसफ सुन्दर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	2372711 2352134	2328679
04	शहर के पत्तन औषधालय (टाउन क्षेत्र में रहनेवाले रोगियों को उपचार करना), आइएसओ, क्यूएमएस ईएमएस, लेखापरीक्षा	डॉ० पी. राजेश्वरी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2321312	2320075
05	बाहरी रोगियों को उपचार करना, साधारण ड्यूटी, दुर्घटना, क्लियरिंग सीएचडी चिकित्सा बिल एवं क्वॉलिटी सर्किल	डॉ० बेबी रानी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2372709	2372763

## वित्त विभाग :-

क्र०सं०	हरेक गतिविधियों का नाम	अधिकारी का नाम व पदनाम	संपर्क दूरभाष नंबर	
			कार्यालय	आवास
01		श्रीमती एस.शांती वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी	2352254	2145
02		श्री एम. ताणुसुब्रमणि वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी	2354365 2372134 9443189568	
03		श्री पी. बालन उप मुख्य लेखा अधिकारी	2352594 2372101 9443189567	
04				
05		श्री ए. राजमाणिक्कम वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2372114	
06		श्री के. रघुपति	2372864	

		वरिष्ठ लेखा अधिकारी		
07		श्री सी. लक्ष्मणन लेखा अधिकारी ग्रेड- I	2372107	
08		श्री ए. शंकर लागत लेखा अधिकारी	2372115	

समुद्री विभाग :-

क्र०सं०	हरेक गतिविधियों का नाम	अधिकारी का नाम व पदनाम	संपर्क दूरभाष नंबर	
			कार्यालय	आवास
01		कप्तान भबतोष चंद उप संरक्षक	2352313 2372600 फैक्स नं० 2352385	2353067 2372621 9443289568
02		हार्बर मास्टर	2352423 2372601 9442289505	2352287 2372612
03		सहायक सचिव ग्रेड- II	2372605	2352606 2372873 9442152606
04		श्री आर. अर्जूनन अग्नि व सहायक सुरक्षा अधिकारी	2372622	9486554715
05		एस. जयचन्द्रन सहायक अभियंता (समुद्री)	2352592 2372602	9488509920
06		एस. स्टीफन सहायक समुद्री अधिकारी	9489659654	9442371613
07		.....	2372608	
08		सिग्नल बोसन	2911893 2372220	9489659658



## समुद्री विभाग :-

क्र०सं०	हरेक गतिविधियों का नाम	अधिकारी का नाम व पदनाम	संपर्क दूरभाष नंबर	
			कार्यालय	आवास
01	ईडीपी केन्द्र के कामकाज के प्रभारी	श्री आर. सतीश कुमार वरिष्ठ उप निदेशक	2352091 2372150	2352501

## सतर्कता विभाग :-

क्र०सं०	हरेक गतिविधियों का नाम	अधिकारी का नाम व पदनाम	संपर्क दूरभाष नंबर	
			कार्यालय	आवास
01		श्री दीपक चतुर्वेदी	2352253 2372500	2354375 2372510
02	निजी सचिव को जिम्मेदारियाँ जुडा	उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	2353350 2372501	2372138